मैसर्स यूनाइटेड इंण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

देवेन्द्र सिंह

12 अक्टूबर, 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:

धारा 12-सेवा में कमी-बीमा दावा-दुर्घटना बीमित मोटर वाहन-नकली लाइसेंस रखने वाला चालक-दावा क्षतिपूर्ति-बीमाकर्ता की देयता - अभिनिर्धारित कियाः बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है -मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

**परिवादी उस बीमित वाहन का मालिक है जिसके साथ दुर्घटना कारित हुई है। जांच में पता चला कि वाहन चालक के पास नकली लाइसेंस था।**

**परिवादी ने धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम 1986, के तहत याचिका दायर की कि नुकसान का भुगतान नहीं करने के लिए सेवा में कमी की शिकायत करना जो बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए थे। जिला आयोग ने याचिका स्वीकार कि जिसकी राज्य आयोग और फिर राष्ट्रीय आयोग ने पुष्टि की।**

**इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया यह तर्क कि लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और वह भी एक प्राधिकरण जिसने मूल रूप से इसे प्रदान नहीं किया था; वाहन का व्यापक रूप से बीमा किया गया था; कि वाहन चालक द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास प्रभावी ड्राइविंग**

**लाइसेंस नहीं था और इस दृष्टिकोण से इस मामले में, प्रत्यर्थी मुआवजे के रूप में या अन्यथा किसी भी राशि के अनुदान का हकदार नहीं।**

**अपील स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि :**

1. परिवादी वाहन का मालिक है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को तीसरे पक्ष के संबंध में सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बीमा कवर लेना अनिवार्य है। हालाँकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, वाहन के मालिक को होने वाले नुकसान के संबंध में बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य रूप से बीमा योग्य नहीं था। इस प्रकार, यह स्वयंसिद्ध है कि जहां एक बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य और आशय को पूरा करने के उद्देश्य से मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वहीं ऐसे मामले में यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि एक बीमा कंपनी वाहन के मालिक को उसके नुकसान की भरपाई करने से इंकार कर सकती है। बीमाकर्ता की वैधानिक देयता के संबंध में यह अंतर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गठित दावा अधिकरण के समक्ष एक लाभकारी कानून द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तात्पर्य एवं उददेश्य को प्राप्त करना तथा उपभोक्ता मंच के समक्ष अनुबंध का प्रवर्तन कराना है।

**[पैरा 8, 9 और 10] [341-ई, एफ, जी; 342-ए]**

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह व अन्य, **[2004] 3 एससीसी 297, को देखें।**

**2. एक बार लाईसेंस फर्जी पाया जाता है तो नवीनीकरण फर्जी लाईसेंस के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को वाहन के**

**मालिक को हुए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराने में त्रुटि की है।**

**[पैरा 12 और 15] [343-जी; 345-सी]**

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नरेन धूत, **[2007] 3 एससीसी 700;** दी आरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम मीना विरियाल व अन्य, **(2007) 5 स्केल 269 और** आरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम ब्रजमोहन व अन्य, **(2007) 7 स्केल 753।**

**3. इस प्रकृति के मामले में अलग-अलग विचार उठेंगे, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता मंच केवल इस सवाल से चिंतित था कि अपीलार्थी की ओर से सेवा में कमी थी या नहीं। बीमा कंपनी की ओर से बीमा की राशि का भुगतान न करने का अधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कुछ स्थितियों में यह तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है; यदि इसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकरण के समक्ष दायर किया जाता है। लेकिन बचाव को एक अलग मंच के समक्ष उचित ठहराया जा सकता है जहां उठाए गए प्रश्न पर एक अलग तरीके से विचार करने की आवश्यकता होती है।**

**[पैरा 16] [345-सी, डी, ई]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4883/2007।

अंतिम आदेश दिनांक 09.10.2006 से, राष्टीय उपभोक्ता विवाद निवारण नई दिल्ली के अंतिम आदेश दिनांक 09.10.2006 जो 2006 आर.पी. संख्या 2908 में पारित किया गया।

पी.आर. सिक्का और राकेश के. शर्मा अपीलार्थी की ओर से

अजय मजिठिया, राजेश कुमार और डॉ. कैलाश चंद्र प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निणर्य **एस बी सिन्हा, जे.** द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई.

2. क्या मोटर वाहन चलाने के लिए दिए गए लाइसेंस का नवीनीकरण, जो मूल रूप से कूटरचित पाया गया था, बीमा कंपनी की ओर से किसी भी दायित्व का कारण बनेगा, इस अपील में शामिल मुख्य प्रश्न है जो निणर्य और आदेश दिनांक 9.10.2006 से उत्पन्न होता है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा आर.पी. संख्या 2908/2006 में पारित किया गया।

3. प्रत्यर्थी वाहन संख्या HR-37A-5521 का मालिक है। उन्होंने उक्त वाहन का बीमा 10.11.2003 को एक वर्ष के लिए अर्थात 9.11.2004 तक कराया था। 20.04.2004 को एक ट्रक से इसकी दुर्घटना हो गयी। उक्त वाहन को कुलबीर सिंह नामक व्यक्ति चला रहा था। इस संबंध में किए गए अनुसंधान में पाया गया कि कुलबीर सिंह के पास जो लाइसेंस नंबर 6604/R-91-92 है, वह लाइसेंसिंग प्रधिकारी सोलन द्वारा जारी नहीं किया गया था।

4. हालाँकि, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत एक शिकायत याचिका दायर की गई थी, जिसमें बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई क्षति की राशि का भुगतान नहीं करने के लिए सेवा में कमी की शिकायत की गई थी, जिसे अपीलार्थी ने कथित तौर पर लिया था। भुगतान करने के लिए बाध्य है। उक्त शिकायत याचिका को बतौर क्षतिपूर्ति 1,23,412/- रुपये की राशि का अवार्ड पारित करते हुए स्वीकार किया गया। साथ् ही 20,000/-

अन्य मदों के लिए और 9% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज स्वीकृत किया गया, अभिनिर्णितः

> ''8. विपक्षीगण द्वारा यह दलील दी गई कि वाहन चलाते समय चालक कुलबीर सिंह के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हालाँकि, जब श्री राजेश शोरी ने ड्राइविंग लाइसेंस का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि ड्राइविंग लाइसेंस 23.11.1998 को डीटीओ, होशियारपुर द्वारा जारी किया गया था। मूल ड्राइविंग लाइसेंस 1991-92 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी सोलन द्वारा जारी किया गया था। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि फाइल में इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है कि मूल ड्राइविंग लाइसेंस सोलन (हिमाचल प्रदेश) में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, तथापि, सम्मन के पीछे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसका प्रभाव यह है कि, कुलबीर सिंह पुत्र अमरीक सिंह के नाम पर मूल ड्राइविंग लाइसेंस संख्या 6604/आर-91-92 लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा जारी नहीं किया गया था। जैसा कि रिपोर्ट Ex.R-10 में बताया गया है। परिवादी द्वारा अपने शपथ पत्र प्रदर्श सी-1 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, जब उन्होंने ड्राइवर कुलबीर सिंह को नियुक्त किया था, तो उसके पास लाइसेंसिंग प्राधिकारी, होशियारपुर द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने लाइसेंसिंग प्राधिकारी, होशियारपुर द्वारा जारी किए गए इस ड्राइविंग लाइसेंस को भी सत्यापित किया और उसका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया और पाया कि वह एक कुशल ड्राइवर थे। विरोधी पक्षों की ओर से कोई खंडन साक्ष्य नहीं है और इसलिए हम मानते हैं कि दुर्घटना के समय ड्राइवर कुलबीर सिंह के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और

इसलिए विपक्षी पक्षों ने अवैध रूप से परिवादी के दावे को खारिज कर दिया। चूंकि विपक्षी मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे और इसलिए, यह सेवा में कमी का मामला है।"

5. इसके विरुद्ध की गई एक अपील को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण आवेदन का भी यही परिणाम आया।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अन्य बातों के अलावा, प्रस्तुत करेंगे:

(i) कि किसी जाली लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और वह भी ऐसे प्राधिकरण द्वारा जिसने मूल रूप से उसे स्वीकृत नहीं किया है;

(ii) निर्विवाद रूप से, परिवादी प्रश्नगत वाहन का मालिक था;

(iii) इसका व्यापक रूप से बीमा किया गया था;

(iv) हालाँकि, वाहन कुलबीर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मामले के मद्देनजर, प्रत्यर्थी मुआवजे या अन्यथा के रूप में किसी भी राशि को प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि:

(i) बीमा पॉलिसी के संदर्भ में मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस था या नहीं;

(ii) मूल लाइसेंसिंग प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि उसके द्वारा कोई लाइसेंस जारी किया गया था या नहीं;

(iii) मालिक का कर्तव्य केवल मामले में उचित देखभाल करना है क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह इस संबंध में विस्तृत जांच करेगा।

8. परिवादी वाहन का मालिक है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को तीसरे पक्ष के संबंध में सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बीमा कवर लेना अनिवार्य है।

9. हालाँकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, वाहन के मालिक को होने वाले नुकसान के संबंध में बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य रूप से बीमा योग्य नहीं था।

10. इस प्रकार, यह स्वयंसिद्ध है कि जहां एक बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य और आशय को पूरा करने के उद्देश्य से मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वहीं ऐसे मामले में यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि एक बीमा कंपनी वाहन के मालिक को उसके नुकसान की भरपाई करने से इंकार कर सकती है। बीमाकर्ता की वैधानिक देनदारी के संबंध में यह अंतर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गठित दावा अधिकरण के समक्ष एक लाभकारी कानून द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तात्पर्य एवं उददेश्य को प्राप्त करना तथा उपभोक्ता मंच के समक्ष अनुबंध का प्रवर्तन कराना है।

11. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य [(2004)3 एससीसी 297] में, जिस पर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष में कहा, यह न्यायालय किसी तीसरे पक्ष के दावे के संबंध में साथ ही बीमा कंपनी की भूमिका के प्रश्न पर विचार कर रहा था। इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की:

"89. अधिनियम की धारा 3 ड्राइवर पर दायित्व अधिरोपित करती है कि चालक जिस वाहन को चलाने का इरादा रखता है उसके लिए चालक के पास एक प्रभावी लाइर्सेसं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 10 केंद्र सरकार को उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। विभिन्न प्रकार के वाहनों का वर्णन किया गया है जिनके लिए एक चालक उनमें से एक या अधिक के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है: (ए) बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, (बी) गियर वाली मोटरसाइकिल, (सी) अमान्य वाहन, (डी) हल्के मोटर वाहन, (ई) परिवहन वाहन, (एफ) रोड रोलर, और (जी) अन्य निर्दिष्ट विवरण के मोटर वाहन। धारा 2 में परिभाषा खंड अधिनियम में वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है जो धारा 10 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यापक प्रकारों में शामिल हैं। वे हैं माल वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन, अमान्य वाहन, हल्के मोटर वाहन, मैक्सी-कैब, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, मोटर-कैब, मोटरसाइकिल, ऑम्निबस, निजी सेवा वाहन, अर्ध-ट्रेलर, पर्यटक वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर और परिवहन वाहन।

*** *** ***

92. यह सच हो सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि एक नकली या जाली लाइसेंस बिना किसी लाइसेंस के उतना ही अच्छा है, लेकिन यहां सवाल, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, यह है कि क्या बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि

मालिक बीमा पॉलिसी या बीमा अनुबंध की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने का दोषी था। लेहरू केस 5 में मामले पर कुछ विस्तार से विचार किया गया है। हम आम तौर पर बेंच के दृष्टिकोण से सहमत हैं, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि उसमें की गई टिप्पणियों को कानून की आवश्यकताओं के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, जिसके संदर्भ में बीमाकर्ता को जानबूझकर उल्लंघन स्थापित करना है। बीमाधारक का हिस्सा है और किसी भी बचाव के अधिकार से वंचित करने या मालिकों को किसी भी दायित्व से मुक्त करने के उद्देश्य से नहीं। हम इस मामले को विस्तार से कुछ देर बाद चर्चा करेंगें।

*** *** ***

110. (iii) पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन जैसे ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि धारा 149 की उपधारा (2)(ए)(ii) में निहित है, बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा किया गया अपराध साबित करना होगा। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता, अपने आप में बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। बीमाधारक के प्रति अपनी देनदारी से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित

देखभाल करने में विफल रहा। प्रासंगिक समय पर गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित।"

12. उक्त निर्णय को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत [(2007) 3 एससीसी 700] मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में कहा है:

"36. इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि स्वर्ण सिंह मामले 1 में निर्णय का स्वयं के नुकसान के मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। फर्जी लाइसेंस के प्रभाव पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम कमला मामले में इस न्यायालय द्वारा कही गई बातों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए। एक बार जब लाइसेंस नकली हो जाता है तो नवीनीकरण नकली लाइसेंस के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता है। कमला मामले में इसे इस प्रकार देखा गया: (एससीसी पृष्ठ 347, पैरा 12)

12. कानून के एक बिंदु के रूप में हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नकली लाइसेंस केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई अधिकारी उसे जाली होने की जानकारी के साथ या उसके बिना नवीनीकृत कर देता है। धारा 15 अधिनियम केवल किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत करने का अधिकार देता है। किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास नकली लाइसेंस को नवीनीकृत करने की शक्ति नहीं है और इसलिए, यदि नवीनीकरण किया भी जाता है तो नकली लाइसेंस को असली में

नहीं बदला जा सकता है। कोई भी कूटरचित दस्तावेज़ जो यह दर्शाता है कि इसमें किसी वैधानिक प्राधिकारी का कथित आदेश शामिल है, वह हमेशा जाली ही रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि कुछ वैधानिक प्राधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों ने दस्तावेज़ पर अनजाने में इस धारणा पर काम किया होगा कि यह वास्तविक है।"

13. लक्ष्मी नारायण धुत (Supra) का इस न्यायालय द्वारा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल और अन्य, [2007 (5) स्केल 269] में अनुसरण किया गया है । जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्वर्ण सिंह (Supra) का जिक्र करते हुए कहा:

"इस निर्णय के अनुपात को ऐसे मामले में लागू करना मुश्किल है जिसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। अधिनियम के अध्याय XI द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण सुरक्षा तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अर्थ में तीसरा पक्ष नहीं है, बीमा कंपनी को केवल स्वर्ण सिंह (Supra) पर भरोसा करते हुए स्वचालित रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। यही स्थिति प्रतीत होती है. इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत 2007 (4) स्केल 36 में स्पष्ट किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वर्ण सिंह (Supra) का उल्लेख करने और कानून पर चर्चा करने के बाद स्थिति को इस प्रकार सारांशित किया:

उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्थितियाँ सामने आती हैं:

1. स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय का तीसरे पक्ष के जोखिमों के अलावा अन्य मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

2. जहां मूल रूप से लाइसेंस नकली था, नवीनीकरण अंतर्निहित घातकता को ठीक नहीं कर सकता है।

3. तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में बीमाकर्ता को राशि की क्षतिपूर्ति करनी होगी और यदि सलाह दी जाती है, तो उसे बीमाधारक से वसूल करना होगा।

4. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अवधारणा अधिनियम की धारा 149 से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होती है।

[ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृज मोहन और अन्य, 2007 (7) स्केल 753 भी देखें ]।"

14. लक्ष्मी नारायण धुत (सुप्रा) और मीना वरियाल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले सीधे मुद्दे पर हैं, हम इससे बंधे हैं।

15. उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, हमारी राय है कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को वाहन के मालिक को हुए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराने में त्रुटि की है।

16. इस प्रकृति के मामले में अलग-अलग विचार उठेंगे, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता मंच केवल इस सवाल से चिंतित था कि अपीलकर्ता की ओर से सेवा में कमी थी या नहीं। बीमा कंपनी की ओर से बीमा की राशि का भुगतान न करने का अधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

पर निर्भर करेगा। कुछ स्थितियों में यह तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है; यदि इसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकरण के समक्ष दायर किया जाता है। लेकिन बचाव को एक अलग मंच के समक्ष उचित ठहराया जा सकता है जहां उठाए गए प्रश्न पर एक अलग तरीके से विचार करने की आवश्यकता होती है।

17. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है. हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हजार्ने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अतः अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेमलता सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।